



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला (जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला)

(हेल्पलाइन नं: 8306002129; फोन: 0291-2943451; ई-मेल आई.डी.: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)
क्रमांक:-जि.वि.से.प्रा./स्था./संविदा सेवा/विज्ञप्ति/2026-27/02 दिनांक-17.03.2026

विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक 156 दिनांक 10.03.2026 एवं माननीय राज0 सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या पं.08(1) विधि-2 /विरसं(64)/2015 पार्ट II-17055 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला मुख्यालय(स्थाई लोक अदालत सहित) एवं जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र की अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार कुल 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं ली जानी है।

राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र एवं संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के दिशा-निर्देशों की पालना में जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र में कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तत्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप उक्त रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर सेवानिवृत्त कार्मिक, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, वे ही आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिकों की संविदा पर सेवाएं वित्तीय वर्ष 2026-27(दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक) अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पूर्व में हो, के लिये संविदा पर, जो भी पहले हो की कालावधि तक सेवाएं देने के इच्छुक कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेंगे। उक्त संवर्गों की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अधधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला(स्थाई लोक अदालत सहित) एवं जोधपुर जिला जिला के अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार अनुसार ली जायेगी।

उपर्युक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर उक्त शर्तों के अधधीन संविदा पर सेवाएं देने वाले इच्छुक कर्मचारी अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला के कार्यालय में जरिये स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से नियत अंतिम दिनांक दिनांक 24.03.2026 को 1.00 पी.एम. तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक जिला न्यायालय, जोधपुर जिला की वेबसाईट <http://jodhpur.dcourts.gov.in/> से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती हैं कि दिनांक 24.03.2026 के पश्चात् के आवश्यक निर्देशों बाबत जिला न्यायालय, जोधपुर जिला की वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:-

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति।
2. अन्तिम भुगतान प्रमाण-पत्र(एलपीसी) की प्रति।
3. पी.पी.ओ. की प्रति।
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण-पत्र(प्रारूप संलग्न है)।



सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जोधपुर जिला।

"Help The Needy - Timely Help May Create History"



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला
(जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला)

(हैल्पलाइन नं: 8306002129; फोन: 0291-2943451; ई-मेल आई.डी.: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

क्रमांक:—जि.वि.से.प्रा./स्था./संविदा सेवा/विज्ञप्ति/2026-27/54- दिनांक—17.03.2026

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला।
3. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जोधपुर जिला को समस्त अधीनस्थ विभागों/PSUs में सूचित करने बाबत्।
5. अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, बिलाड़ा/पीपाड़/बालेसर/औसियां।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़।
7. जिला नियोजन अधिकारी, जोधपुर जिला।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जोधपुर शहर/ग्रामीण।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर।
10. प्रभारी अधिकारी, पेंशन कार्यालय, जोधपुर।
11. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला को जिला न्यायालय, जोधपुर जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जोधपुर जिला।



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला (जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला)

(हेल्पलाइन नं: 8306002129; फोन: 0291-2943451; ई-मेल आई.डी.: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिक को च.श्रे.कर्म. के विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. कर्मचारी का नाम :—
2. पिता/पति का नाम :—
3. जन्म तिथि:—
4. पता मय मोबाईल नम्बर :—
5. आयु(दिनांक 31.03.2026 को):— वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :—
7. मूल विभाग का नाम :—
8. धारित पद :—
9. अनुभव :—
10. मूल वेतन :—
11. (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे)
12. पे-स्लीप/एलपीसी संलग्न करें।
13. धारित पद का वेतनमान
14. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
15. विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
(1)..... (2)..... (3).....
16. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है.....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला
(जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला)

(हेल्पलाइन नं: 8306002129; फोन: 0291-2943451; ई-मेल आई.डी.: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मिक को च.श्रे.कर्म. के विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. कर्मचारी का नाम :—
2. पिता/पति का नाम :—
3. जन्म तिथि:—
4. पता मय मोबाईल नम्बर :—
5. आयु(दिनांक 31.03.2026 को):— वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :—
7. मूल विभाग का नाम :—
8. धारित पद :—
9. अनुभव :—
10. मूल वेतन :—
11. (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे)
12. पे-स्लीप/एलपीसी संलग्न करें।
13. धारित पद का वेतनमान
14. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
15. विपरित प्रतिनियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
(1)..... (2)..... (3).....
16. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है.....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला
(जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला)

(हेल्पलाइन नं: 8306002129; फोन: 0291-2943451; ई-मेल आई.डी.: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

विपरित प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र एवं संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के दिशा-निर्देशों एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक विपरित प्रतिनियुक्ति की सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

स्थान :-

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 16 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती रुपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी हैं और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील